न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 103/2019 अपील (GCMS 2019/000126)
पंजीयन दिनांक– 23.01.2020
निर्णय दिनांक– 24.01.2023

1. श्री थावरचन्द पिता मणीलाल जोगी, निवासी कनबई, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पिता रामदयाल मीणा, निवासी कनबई, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती ललिता पत्नि लक्ष्मण मीणा, निवासी कनबई, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेरवाडा, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजमल राव – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1, 2
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, उदयपु के प्रकरण संख्या 10/2015 (प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 06.01.2017

निर्णय

दिनांक 24.01.2023

- अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर,

उदयपुर के प्रकरण संख्या 10/2015 (प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 06.01.2017 के विरूद्ध दिनांक 11.07.2018 को प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश के साथ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 21.11.2019 को दर्ज की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 बाबत आवंटन निरस्त कराये जाने प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा कनबई, तहसील खेरवाडा में आराजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिस पर काश्त होना संभव नहीं है। इस भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम पर दिनांक 07.02.2006 को आवंटित करा लिया, जो एबइनिश्योवोइड़ होकर बिना अधिकार के हैं। ऐसे टुकड़े का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया ही नहीं जा सकता। यह जमीन प्रार्थी की खातेदारी जमीन से गिरी हुई है। इस जीम पर सन् 2006 के बहुत पहले से कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है, रेस्पोडेंट भूमिहीन काश्तकार न होकर व्यावारी है एवं दुकान चलाता हैं। यह जमीन रोड़ से लगी हुई है, जबकि यह डिस्ट्रीक्ट रोड़ होने से सड़क के मध्य से 75 फीट दूर तक आवंटन नहीं किया जा सकता है। कथित आवंटन बिलकुल गलत तथा धोखे से मिलीभगत कर कराया गया हैं। अपीलांट ने बबूल की बाउण्ड्री बना रखी हैं। रेस्पोडेंट एवं उसके पिता के खाते में पहले से काफी जमीन मौजूद है। कथित आवंटन के पूर्व इस जमीन बाबत कभी कोई उद्घोषणा पत्र जारी नही हुआ हैं, न ही ओक्युपाईड एवं अनओक्युपाईड भूमि की लिस्ट भी पेशशुदा हैं। केवल पटवारी हल्का ने मिलकर अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम करवा दिया, जबकि

यह आवंटन धोखे से करवाया गया हैं। पहले से जमीन कितनी खाते में है, यह भी नहीं बताया गया है। यहां तक की आवंटन कमेटी के समक्ष अध्यक्ष उपस्थित नही था एवं बिना अध्यक्ष के आदेश के आवंटन किया ही नहीं जा सकता है। यह आवंटन बिना अधिकार के है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह आवंटन काबिल निरस्त है। यह भूमि केवल एक प्लॉट के रूप में है, जिस पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है तथा एक भी दिन आवंटी का कब्जा नही रहा है। उक्त आंवटित भूमि कृषि योग्य भूमि नही है तथा इसके आस पास रेस्पोडेंट्स की कोई भूमि नहीं है। इस कारण इतनी छोटी भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर लिखा कि यदि 10 हजार वर्गमीटर भूमि से कम भूमि का विक्रय किया जाता है तो उस पर प्लॉट की दर लगेगी। 10 हजार वर्गमीटर से कम भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ माना गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को देखे बिना आवंटन आदेश पारित कर दिया है, जो बिलकुल गलत होकर काबिल निरस्त है। आवंटन के समय अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्यों का हेना आवश्यक है तभी कोरम पूर्ण होगा, किन्तु इस इस मामले मे अध्यक्ष उपस्थित न होते हुए भी आवंटन कमेटी ने आंवटन की राय देकर आवंटन किया है, जो बिलकुल गलत है। कथित आवंटन की भूमि इतनी कम थी कि इसका स्वतंत्र रूप से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता था, किन्तु आवंटन कमेटी ने इस बिन्दु को देखे बिना आवंटन की राय दे दी। आवंटन के पूर्व उद्घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ तथा न ही उद्घोषणा पत्र की तामिल करायी गयी है। इस कारण कथित आवंटन नियम 7 के विपरीत किया गया है। उक्त भूमि के चारों ओर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। इस प्रकार उक्त आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कनबई, तहसील खेरवाडा

की विवादित आराजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 10/2015 (प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 06.01.2017 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाने तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौजा कनबई, तहसील खेरवाड़ा की विवादित आराजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि पर रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 07.02.2006 को यथावत रखे जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.01.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— *"खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना किया जाने पर ही प्रदान किये जाते है। चूंकी विपक्षी संख्या 1 व 2 को मौजा कनबई, तहसील खेरवाडा की विवादित आराजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। अतः ऐसी स्थिति में नियम 14(4) अंतर्गत कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जात है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौजा कनबई तहसील खेरवाडा की विवादित आराजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 07.02.2006 को यथावत रखा जाता है। "*

- उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजमल राव उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 13.12.2022

को सुनी गई तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 24.01.2023 सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि मौजा कनबई तहसील खेरवाडा में आराजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिस पर काश्त होना संभव नहीं है। इस भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम पर दिनांक 07.02.2006 को आवंटित करा लिया, जो एबइनिश्योवोइड़ होकर बिना अधिकार के हैं। ऐसे टुकड़े का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया ही नहीं जा सकता। यह जमीन प्रार्थी की खातेदारी जमीन से गिरी हुई है। इस जमीन पर सन् 2006 के बहुत पहले से कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है, रेस्पोडेंट भूमिहीन काश्तकार न होकर व्यावारी है एवं दुकान चलाता हैं। यह जमीन रोड़ से लगी हुई है, जबकि यह डिस्ट्रीक्ट रोड़ होने से सड़क के मध्य से 75 फीट दूर तक आवंटन नहीं किया जा सकता है। कथित आवंटन बिलकुल गलत तथा धोखे से मिलीभगत कर कराया गया हैं। अपीलांट ने बबूल की बाउण्ड्री बना रखी हैं। रेस्पोडेंट एवं उसके पिता के खाते में पहले से काफी जमीन मौजूद है। कथित आवंटन के पूर्व इस जमीन बाबत कभी कोई उद्घोषणा पत्र जारी नही हुआ हैं, न ही ओक्युपाईड एवं अनओक्युपाईड भूमि की लिस्ट भी पेशशुदा हैं। केवल पटवारी हल्का ने मिलकर अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम करवा दिया, जबकि यह आवंटन धोखे से करवाया गया हैं। पहले से जमीन कितनी खाते में है, यह भी नहीं बताया गया है। यहां तक की आवंटन कमेटी के समक्ष अध्यक्ष उपस्थित नही था एवं बिना अध्यक्ष के आदेश के आवंटन किया ही नहीं जा सकता है। यह आवंटन बिना अधिकार के है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह आवंटन काबिल निरस्त है। यह भूमि केवल

एक प्लॉट के रूप में है, जिस पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है तथा एक भी दिन आवंटी का कब्जा नही रहा है। उक्त आंवटित भूमि कृषि योग्य भूमि नही है तथा इसके आस पास रेस्पोडेंट्स की कोई भूमि नहीं है। इस कारण इतनी छोटी भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर लिखा कि यदि 10 हजार वर्गमीटर भूमि से कम भूमि का विक्रय किया जाता है तो उस पर प्लॉट की दर लगेगी। 10 हजार वर्गमीटर से कम भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ माना गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को देखे बिना आवंटन आदेश पारित कर दिया है, जो बिलकुल गलत होकर काबिल निरस्त है। आवंटन के समय अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्यों का हेना आवश्यक है तभी कोरम पूर्ण होगा, किन्तु इस इस मामले मे अध्यक्ष उपस्थित न होते हुए भी आवंटन कमेटी ने आंवटन की राय देकर आवंटन किया है, जो बिलकुल गलत है। कथित आवंटन की भूमि इतनी कम थी कि इसका स्वतंत्र रूप से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता था, किन्तु आवंटन कमेटी ने इस बिन्दु को देखे बिना आवंटन की राय दे दी। आवंटन के पूर्व उद्घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ तथा न ही उद्घोषणा पत्र की तामिल करायी गयी है। इस कारण कथित आवंटन नियम 7 के विपरीत किया गया है। उक्त भूमि के चारों ओर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। इस प्रकार उक्त आवंटन नियमों के विपरीत होने से मौजा कनबई, तहसील खेरवाडा की विवादित आराजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कराया जावें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2005 (1) Page 83, RRT 2001 (2) Page 1410, RRT 2009 (1) Page 64, RRD 1990 Page 465, RRD 1995 Page 340, RRT 2009 (2) Page 1220, RRD 2002 Page 1 तथा RRD 1985 Page 564 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि उक्त आवंटन नियमानुसार आवंटन नियमों को ध्याम में रखते हुए ही किया गया है। मौजा कनबई, तहसील खेरवाडा में आराजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को कृषि प्रयोजनार्थ होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 कृषि कार्य कर रहे है। पंचायत के कोरम में तीन–चार अधिकारी एवं एम.एल.ए. सहित जन प्रतिनिधियों की उक्त कोरम उपस्थित थी तथा उनके द्वारा ही रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आवंटित की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 व्यापारी नहीं है एवं न ही उक्त भूमि के अलावा उन्हें कोई भूमि आवंटित हुई है। विवादित कृषि भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 वर्षो से खातेदार काश्तकार है, जिन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। विादित कृषि भूमि की रिपोर्ट में रेस्पोडेंट द्वारा मक्का की फसल बो रखी थी, जिकसा हवाला पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में नही दिया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के आवंटनशुदा भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नही रहा है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर द्वारा टीएसपी विशेष राजस्व अभियान जनवरी–फरवरी 2006 के जरिये फाईल नम्बर 223/2006 के विधिवत रूप से आवंटित की है, जो की कानूनन सही है तथा उक्त शिविर में उक्त अधिकारी सहित अन्य समस्त अधिकारी उपस्थित थे। रेस्पोडेंट्स को उक्त वर्णित जमीन 07.02.2006 को आवंटन के पश्चात जरिये नामांतरकरण रेस्पोडेंट्स के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात उक्त जमीन रेस्पोडेट्स के नाम सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज हुई, तब से ही रेस्पोडेंट्स उक्त वर्णित भूमि पर विगत 10–12 वर्षो से नियमित रूप से काश्तकार के रूप में काबिज हो अपना जीवन यापन कर रहे है तथा उक्त कृषि भूमि को उन्नत बनाने में लम्बे समय से रेस्पोडेंट्स ने काफी खर्चा किया है, जिससे उसे उक्त भूमि से बेदखल नही किया जा

सकता है। किसी भी अधिकारी ने रेस्पोडेंट्स को बेदखली का कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया है। अपीलांट द्वारा द्वेषतावश रेस्पोडेंट्स के खाते एवं कब्जेशुदा भूमि को हडपने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया था। एवं इसी संबंध में आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने दिनांक 24.01.2023 को उपस्थित होकर अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 06.01.2017 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर अपील अंदर मयाद प्रस्तुत की गई है।

- प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गंभीरता से अध्ययन किया। प्रकरण में आवंटन पत्रावली से यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा मौजा कनबई की आराजी संखया 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी एवं भू–अभिलेख निरक्षक की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को मौजा कनबई, तहसील खेरवाडा की आराजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर का दिनांक 07.02.2006 को आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच एवं सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति इत्यादि के हस्ताक्षर आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। आवंटन कमेटी के अध्यक्ष/उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर आवंटन पत्र पर उपलब्ध

है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आवंटन टी. एस.पी. विशेष राजस्व अभियान जनवरी–फरवरी 2006 के तहत किया गया हैं एवं विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना पाया गया है।

- अधीनस्थ न्ययालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार से प्राप्त मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 28.07.2016 के अनुसार मौजा कनबई, तहसील खेरवाडा की विवादित आराजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि जमाबंदी संवत् 2069–72 में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। मौके पर रेस्पोडेंट लक्ष्मण पिता रामदयाल द्वारा पक्का निर्माण कार्य छत लेवल तक बना हुआ होकर छत डालना शेष है। मौतबिरानों ने जाहिर किया कि उक्त आराजी के पडोस में अन्य खातेदारों थावरचंद, संतोष, देविका, रेखा, कंकू, इन्दु पिता मणा जोगी एवं बीना पत्नि प्रदीप कुमार मीणा के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है एवं पूर्व में अराजी नम्बर 1473 पर थावरचंद जोगी का कब्जा होना बताया है। नकल वर्तमान जमाबंदी से यह ज्ञात होता है कि मौजा कनबई, तहसील खेरवाडा की विवादित आरजी संख्या 1473 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होकर उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट्स को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

- प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट संलग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि संलग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट का उक्त विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा चला आ रहा हो। यदि अपीलांट का कब्जा उक्त भूमि पर होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती जिसकी रसीदे अपीलांट के पास उपलब्ध होती, जो अपीलांट का कब्जा साबित करती, किन्तु अपीलांट एवं उसके

अधिवक्ता इसे पेश करने में असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कोई दस्तावेज अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पेश नहीं किया गया है कि विपक्षी व्यापारी हो उसके पास पूर्व से कोई भूमि उपलब्ध हो।

- खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना किये जाने पर ही प्रदान किये जाते है। चूंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को मौजा कनबई, तहसील खेरवाडा की विवादित आराजी संख्या 1473 रकाब 0.0300 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। अतः ऐसी स्थिति में नियम 14(4) अंतर्गत कार्यवाही उचित प्रतीत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2017 उचित प्रतीत होता है।

- प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.01.2017 से पारित निर्णय में हम कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर